

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

रीडर/2025/4063

प्रार्थीगण

बनाम

दिनांक - 03.06.25

अप्रार्थीगण

सुरतराम पुत्र नथाराम जाति सुथार
निवासी खेजडियाली, झाक तहसील
बाटाडू व जिला बाड़मेर।

1 जेठाराम पुत्र गोकलाराम जाति सुथार निवासी
सिगोडिया 2.अन्तरी पत्नी मानाराम 3.लक्ष्मणराम 4.
लालाराम पिसरान सोनाराम 5.गुली पत्नी सोनाराम
6.हुकमाराम 7.फूसाराम 8.नेनाराम पिसरान
मानाराम 9.आईदानराम 10.नखताराम 11.डूंगराराम
पिसरान जेकाराम 12.जीवणराम 13.ताजाराम
पिसरान सोनाराम जातियान कुम्हार निवासीयान
खेजडियाली, झाक जिला बाड़मेर 15.अलसराम
16.रसेखा पिसरान साधीखां 17.वरियाम 18.
शाहमीर पिसरान रामदान 19.सुमार पुत्र साधीखा
20.सादनी पत्नी साधीखां 21.इलियास 22.ईसा
पिसरान रामदान 23.कालू पुत्र मुबा 24.खातू पत्नी
मीरा 25.जमा पत्नी साधी 26.बरकमखां पुत्र साधी
27.भूरेखां पुत्र साधी 28.मीरा पत्नी अनडखां
जातियान मुसलमान निवासीयान भाडखा तहसील
बाड़मेर ग्रामीण 29.खीमाराम पुत्र लिखमाराम 30.
भगवानाराम पुत्र धींगाराम निवासी बाटाडू 31.
शेराराम पुत्र लिखमाराम 32.गोरखाराम पुत्र
खंगाराराम 33.वीरमाराम पुत्र गुणेशाराम
निवासीयान झाक तहसील बाटाडू व जिला
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 14/2025

दिनांक- 26/05/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा खेजडियाली पटवार हल्का झाक तहसील बाटाडू व जिला बाड़मेर के खेत
खसरा संख्या 156 रकबा 10.3795 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी
करने हेतु तहसीलदार बाटाडू को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व
प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी
फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के
मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक
हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/4064-67

दिनांक- 03.06.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाटाडू पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी झाक तहसील बाटाडू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित
रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी सुरतराम पुत्र नथाराम जाति सुथार निवासी खेजडियाली, झाक तहसील बाटाडू व जिला
बाड़मेर।
4. विप्रार्थी जेठाराम पुत्र गोकलाराम जाति सुथार निवासी सिगोडिया तहसील बाटाडू व जिला बाड़मेर।


उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर